भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1902

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

ओडिशा में एमएसएमई

1902. श्री बैजयंत पांडा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में ओडिशा में पंजीकृत कुल एमएसएमई की संख्या कितनी है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) ओडिशा राज्य में लागू की गई केंद्रीय योजनाओं सहित राज्य में एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओडिशा में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत दिनांक 01.07.2020 को की गई थी। दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर ओडिशा में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 22,35,481 थी। पिछले 5 वर्षों में उच्चतम वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में ''खुदरा व्यापार, मोटर व्हीकल्स और मोटर साइकिलों के अलावा'', ''खाद्य और पेय पदार्थ सेवा संबंधी कार्यकलाप'', ''अन्य निजी सेवा संबंधी कार्यकलाप'', ''खाद्य उत्पादों का निर्माण'' तथा ''भूमि परिवहन और पाइपलाइनों के जरिए परिवहन'' शामिल हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के जरिए ओडिशा राज्य सहित देशभर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करती है।

इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैम्पियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने ओडिशा राज्य सहित देशभर में एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 90 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी)।

ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है।

iii. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर उच्चतम सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया मानदंड।

iv. व्यापार करने की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण'' के जरिए एमएसएमई का नया पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई के स्तर में उन्नयन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।

viii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

ix. उद्यम पोर्टल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार ढूंढने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

x. विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी, बोली संबंधी सिक्योरिटी और लिक्विडेटेड नुकसान की 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की गई। संविदाओं के निष्पादन में चूक के लिए बाहर कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान कर दी गई।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत् लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत।

xii. 18 निर्धारित व्यापारों में संलग्न पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को ''पीएम विश्वकर्मा'' स्कीम की शुरुआत।

*****